<u>राज्य आकस्मिकता निधि से आहरण</u>

<u>संख्या-01/44/47-का-3-2015-13/15/2014</u>

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2015**

विषय - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय को व्यवस्थित करने हेतु धनराशि की <u>स्वीकृति</u>।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-101/ 2014-नजारत आयोग/2014, दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराये गये पिकप भवन के तृतीय तल को आयोग के कार्य-कलापों हेतु व्यवस्थित करने हेतु आय-व्ययक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर्याप्त न होने तथा उक्त व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत धनराशि रू0-20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के निस्तारण पर इस शर्त के साथ रखे जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित की गयी उक्त धनराशि का नियमानुसार समायोजन यथा समय कर लिया जायेगा तथा आयोग के पत्र में अंकित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए उक्त धनराशि का व्यय नही किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रथमत: 8000-राज्य की आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन तथा अन्तत: आय-व्ययक की अनुदान संख्या-20 के लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के अन्तर्गत 29-अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

4- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5/06/दस-2015, दिनांक 06 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>वित्त विभाग का पृष्ठांकन</u>

<u>संख्या-सी.एफ.संख्या-013-ई-5/06/दस-2015, दिनांक 06 जनवरी, 2015</u>

प्रतिलिपि, महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(देशराज सिंह)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

<u>संख्या-01/44(1)/47-का-3-2015-13/15/2014, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
7. वित्त (आर-व्ययक) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।